



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 भाद्र 1947 (श10)

(सं० पटना 1509) पटना, मंगलवार, 16 सितम्बर 2025

गृह विभाग  
अभियोजन निदेशालय

अधिसूचना  
12 सितम्बर 2025

सं० अ०नि० (14) 04/2016 आरोप/1988—श्री सुरेश कुमार, सेवानिवृत्त जिला अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, शेखपुरा के विरुद्ध जिला भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के सदस्य का दिनांक 20.04.2016 द्वारा कार्यालय में आम लोगो से पैसा का लेनदेन करने संबंधी लगाये गये आरोप के संबंध में संलग्न सी०डी० क्लीपस के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 862 दिनांक 12.07.2016 के द्वारा इन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1298 दिनांक 23.12.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। दिनांक 31.08.2018 को निलंबन अवधि में ही श्री सुरेश कुमार वार्धक्य सेवानिवृत्त हो गये।

3. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-103/2018—सह-पठित ज्ञापांक 1923 दिनांक 11.10.2018 द्वारा दिनांक 31.08.2018 के प्रभाव से श्री सुरेश कुमार को निलंबन मुक्त करते हुए पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43बी० में परिवर्तित किया गया तथा सेवानिवृत्ति की पूर्व की तिथि/निलंबन अवधि (दिनांक 12.07.2016 से 31.08.2018 तक) के संबंध में आदेश दिया गया कि श्री कुमार को उक्त अवधि का भुगतये वेतन/भत्ता का निर्णय विभागीय कार्यवाही के परिणाम पर आधारित होगा।

4. श्री सुरेश कुमार, सेवानिवृत्त जिला अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, शेखपुरा का दोषसिद्धि प्रमाणित हो चुका है एवं इस प्रमाणित दोषसिद्धि के लिए उन्हें अधिसूचना ज्ञापांक-1102 दिनांक 10.05.2023 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(ख) के तहत अनुशासनिक प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत “05 (पाँच) वर्षों तक 20 प्रतिशत पेंशन की कटौती” का दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्रवाई निष्पादित किया गया। उक्त दंड में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-5118 दिनांक 24.03.2023 द्वारा सहमति प्राप्त है।

5. श्री कुमार का निलंबन अवधि दिनांक 12.07.2016 से सेवानिवृत्ति तिथि 31.08.2018 तक का विनियमन विचाराधीन रहने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-11(5) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय पत्रांक 1450 दिनांक 13.06.2023 द्वारा श्री कुमार को नोटिस निर्गत किया गया कि—“उक्त निलंबन अवधि में आपको क्यों नहीं केवल जीवनयापन भत्ता दिया जाय।” उक्त विभागीय प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपना अभ्यावेदन पत्र प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर विभाग को समर्पित करने हेतु श्री कुमार को पत्राचार किया गया।

6. विभागीय पत्रांक-2474 दिनांक 30.10.2024 द्वारा श्री सुरेश कुमार, सेवानिवृत्त (पूर्व में निलंबित) प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी, शेखपुरा को जिला अभियोजन कार्यालय, लखीसराय के द्वारा निलंबित अवधि के दौरान सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध कराया गया है।

श्री सुरेश कुमार, सेवानिवृत्त (पूर्व में निलंबित) प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी, शेखपुरा को विभागीय कार्यवाही में दंडित किया गया है।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11(5) के आलोक में श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में उक्त नियम-11 के परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया गया है:-

- (i) श्री सुरेश कुमार को निलंबन अवधि का देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगी।
- (ii) निलंबन अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुधांशु कुमार चौबे,  
विशेष सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1509-571+10-डी0टी0पी0  
Website : <https://egazette.bihar.gov.in>